"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 164] रायपुर, बुधवार, दिनांक 15 जुलाई 2009—आषाढ़ 24, शक 1931

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 जुलाई 2009

अधिसूचना

क्रमांक/पं./पं.ग्रा.वि.वि./2009/22/933.—छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 10 की उपधारा (3) में प्रत्येक जिले [अधिनियम की धारा 2 (तीन) में वर्णित राजस्व जिला] के लिए जिला पंचायत की स्थापना हेतु दिये गये प्रावधान अनुसार, राज्य शासन एतद्द्वारा बस्तर एवं दंतेवाड़ा जिलों का पुनर्गठन कर 02 नवीन जिलों नारायणपुर एवं बीजापुर के गठन उपरांत अधिनियम के प्रयोजन के लिए नीचे दी गई अनुसूची के कालम नं. 02 में विनिर्दिष्ट जिलों के लिए अनुसूची के कालम 04 में उल्लेखित नाम से जिला पंचायत स्थापित करती है. जिनमें उक्त अनुसूची के कालम नं. (3) में विनिर्दिष्ट राजस्व जिले या उसके भाग समाविष्ट होंगे.

इन स्थापित जिला पंचायतों में अधिनियम की धारा 8 (ग) के अनुसार जिला पंचायत का गठन किया जावेगा. इस प्रकार गठित जिला पंचायतों को अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत वर्णित अधिनियम के प्रयोजन के लिए आवश्यक अन्य समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी.

यह अधिसूचना जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगी, और यह भी कि अधिनियम की धारा 127 की उपधारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार यह भी आदेश करती है कि इस अधिसूचना से प्रभावित होने वाली जिला पंचायत बस्तर एवं दंतेवाड़ा आगामी सामान्य निर्वाचन के उपरांत अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (1) के अधीन नवगठित जिला पंचायत बीजापुर एवं नारायणपुर के

प्रथम सम्मिलन के आयोजन होने तक पूर्ववत् अस्तित्व में बनी रहेगी.

अनुसूची

अ. क्र. (1)	अधिनियम के प्रयोजन हेतु जिले का नाम (2)	राज. जिला/उसके भाग का नाम जो इसमें सम्मिलित हैं (3)	जिला पंचायत का नाम (4)
		बस्तर	
1.	बस्तर	(संपूर्ण नारायणपुर तह. को छोड़कर जिले का शेष भाग)	बस्तर
		नारायणपुर	
2.	नारायणपुर	(संपूर्ण नारायणपुर तह.)	नारायणपुर
		दंतेवाड़ा	
3.	दंतेवाड़ा	(संपूर्ण बीजापुर एवं भोपालपट्टनम तहसील को छोड़कर जिले का शेष भाग)	दंतेवाड़ा
		बीजापुर	
4.	बीजापुर	(संपूर्ण बीजापुर एवं भोपालपट्टनम तहसील)	बीजापुर

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुधीर अग्रवाल, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 14 जुलाई 2009

क्रमांक/पं./पं.ग्रा.वि.वि./2009/22/973.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, जिला पंचायत नारायणपुर एवं बीजापुर की स्थापना से संबंधित विभाग की अधिसूचना क्र./पंग्राविवि/2009/933, दिनांक 14-07-2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुधीर अग्रवाल, विशेष सचिव.

Raipur, the 14th July 2009

NOTIFICATION

No./P/PGVV/2009/22/933.—In accordance with provision contained in Chhattisgarh Pachayat Raj Adhiniyam 1993 (No. 1 year 1994) sub-section (3) of section 10 to establish Zila Panchayat in each district [Revenue district described in section 2 (three) of Adhiniyam] State Government hereby, after creation of 02 new districts Narainpur and Bijapur by reconstituting Bastar and Dantewara district, establishes Zila Panchayat in the name of Column No. 04 for the district mentioned in column No. 2 of table given below. In which revenue district or its part mentioned in column No. 3 will be included.

Zila Panchayat will be constituted in accordance with section 8 (c) of Adhiniyam in these established Zila Panchayats, such constituted Zila Panchayat will have all other necessary powers described in section 11 of Adhiniyam for the purpose of Adhiniyam.

This Notification will be enforced from the date of issue, by using powers given in sub-section 3 of section 127 of Adhiniyam, State Government makes order that Zila Panchayats Bastar and Dantewara affected by this notification, will remain in existence till first meeting of newly created Narainpur and Bijapur under the sub-section (1) of section 34 of Adhiniyam after the forth coming general election.

TABLE

No. (1)	Name of districts for the purpose of Adhiniyam (2)	Name of State/District/its parts included (3)	Name of Zila Panchayat (4)
1.	Bastar	**Bastar** (Remaining part of district excluding whole Narainpur Tehsil)	Bastar
2.	Narainpur	**Narainpur** (Whole Narainpur Tehsil)	Narainpur
3.	Dantewara	**Dantewara** (Remaining part of district excluding Bijapur and Bhopalpattnam Tehsil)	Dantewara
4.	Bijapur	**Bijapur** (Whole Bijapur and Bholpattnam Tehsil)	Bijapur

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SUDHIR AGRAWAL, Special Secretary.